न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
490/2018	प्रा.पत्र 251-A RTA	28.06.2018	01.07.2019

1. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. हीरसिंह जाति राजपूत निवासी बरड़ादास तहसील व जिला चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. मूलाराम पुत्र स्व. मालाराम जाति मेघवाल निवासी बरड़ादास तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री दानाराम शर्मा प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का एक खेत खसरा नम्बर 254 तादादी 12 बीघा वाके रोही मौजा बरड़ादास में स्थित है जिसका वादी (प्रार्थी) रजिस्टर्ड खातेदार है वादी के उत्तर में प्रतिवादी मूलाराम का खेत खसरा नम्बर 251 स्थित है प्रतिवादी मूलाराम के खेत में से ख. नं. 251 के पूर्व में चिपता बरड़ादास से रेल्वे स्टेशन आसलू का कटाणी रास्ता है इस कटाणी रास्ते में से फंट कर प्रतिवादी मूलाराम के खेत खसरा नं. 251 में से रास्ता फंट कर वादी के खेत खसरा नं. 254 में जाता है इस रास्ते से वादी अपने पूर्वजो के समय से ही आवागमन करता हुआ चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादी मूलाराम ने सन् 1991 में खेत खसरा नम्बर 251 में से जाने के लिए रोका था जिसका तहसीलदार चूरू ने मौका मुआयना कर रास्ते को खुलवाने का आदेश दिया सन् 1991 में तहसीलदार चूरू द्वारा रास्ता खुलवाने के बाद आज तक प्रतिवादी ने कोई अवरोध पैदा नही किया मगर इस साल प्रतिवादी मूलाराम खसरा नम्बर 251 में से जाने के लिए ख. नं. 254 में जाने में अवरूद्ध पैदा कर रहा है।

यह कि प्रतिवादी मूलाराम को कई बार कहा गया तथा गांव के मौजीज व्यक्तियों के द्वारा कहलवाया गया कि वादी उम्मेदसिंह के खेत खसरा नं. 254 में जाने के लिए खेत खसरा नं. 251 में से ही रास्ता सदामत से है इसलिए आप इस रास्ते में अवरोध पैदा न करें क्योंकि उम्मेदसिंह के खेत ख. नं. 254 में इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है मगर मूलाराम ने वादी व गांव के मौजीज व्यक्तियों की बात नही मानी इसलिए वादी को एक्स में रास्ता कटाणी कटाने के लिए यह दावा पेश करना पड़ा है। वादी सदामत से खेत ख. नं. 251 में से अपने खेत ख. नं. 254 में जाता है प्रतिवादी मूलाराम द्वारा दिनांक 01.06.18 को खसरा नं. 251 में से जाने के लिए रोकता है तथा रास्ते में प्रतिवादी सं. 1 अवरोध पैदा करता है इसलिए वादी (प्रार्थी) को यह दावा (प्रार्थना पत्र) प्रस्तुत करने का कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ है तथा वादी

उपखण्ड अधि
चूरू

खसरा नं. 254 का खातेदार होने के कारण तथा खेत ख. नं. 251 में से सदामत से आवागमन करने के कारण वादी को यह दावा लाने का अधिकार हासिल है। सुखाधिकार होने के कारण वादी ने यह दावा पेश किया है। यह कि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो इसलिए वादी ख. नं. 251 में से रास्ता एक्स में कटवाना (चिन्हित) अति आवश्यक है तथा रास्ता एक्स में कायम होने के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद नं रहे। इसलिए कटाणी रास्ता कायम किया जाना जरूरी है। यह कि प्रार्थना पत्र के साथ एक्स व जमाबन्दी की नकलें पेश है। यह कि आर. टी. एक्ट की धारा 251 ए के तहत अदालत वाला को यह दावा (प्रार्थना पत्र) सुनने का अधिकार हासिल है तथा यह भूमि अदालत वाला के क्षेत्राधिकार में है तथा उचित कोर्ट फीस पर यह दावा (प्रार्थना पत्र) पेश है।

अतः दावा (प्रार्थना पत्र) बहक वादी (प्रार्थी) खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) घोषित किया जावे कि खेत ख. नं. 251 में से वादी (प्रार्थी) महेश से खेत ख. नं. 254 में जाने के लिए आवागमन करता है।

(ख) खेत ख. नं. 254 में जाने के लिए खेत ख. नं. 151 में कटाणी रास्ता एक्स में काट कर एक्स में तरमीम किया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष वादी (प्रार्थी) के हक में हो तो वह भी प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 को पुनः सम्मन जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। आगामी तारीख पेशी पर वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 9 व 10 सपठित धारा 11 सी.पी.सी. का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा इसी अनवान का इसी तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र अदालतवाला में पेश किया था जो अनुवानी उम्मेदसिंह बनाम मूलाराम न.मु. 438/17 तारीख पेशी 25.06.18 निर्णय था जो खारिज हो जाने से प्रार्थी उन्हीं तथ्यों पर नया प्रार्थना पत्र धारा 9 में वर्णित होने से नहीं ला सकता। इस कारण प्रा0पत्र खारिज काबिल है। यह कि प्रार्थी द्वारा एक प्रा0पत्र इसी अनवान का न्यायालय तहसीलदार, चूरू के यहां नं.मु. एसपीसी/1/2018 अनुवानी उम्मेदसिंह बनाम मूलाराम आदि पेश कर रखा है व समान अनुतोष होने से व समान खसरा व समान पक्षकार होने से एक ही प्रकरण दो जगह नहीं चल सकता। इस कारण भी खारिज योग्य है। यह कि वादगत खसरा भी अप्रार्थी का पुराना रकबा होने व गलत रूप से वादी/प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजात कराने का दावा जेरकार होने से दावा/प्रा0पत्र चलने काबिल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 9, 10 व 151 सीपीसी का जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी सं. 1 को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा0पत्र में अंकित किया कि अप्रार्थी की ओर से प्रा0पत्र गलत आधारों पर दिये जाने से खारिज फरमाया जाने योग्य है। नं.मु. 436/17 दिनांक 25.06.18 का निर्णय बतलाया है उससे प्रार्थी उम्मेदसिंह ने दावा विड्रॉ की दरख्वास्त पेश करने पर नियमानुसार कार्यवही न्यायालय द्वारा की गई है जिसकी अपील/निगरानी अप्रार्थी द्वारा नहीं की गई है। धारा सी.पी.सी. यहां पर लागू नहीं होता उसमें Civil Court के Jurisdiction बाबत है रेवेन्यू से कोई तालुक नहीं है। यह कि प्रा.पत्र किसी भी न्यायालय में कभी भी दिया जा सकता है इसके लिये कानूनी रूप से कोई पाबन्द नहीं है। यह कि अप्रार्थी ने धारा 9, 10 व 151 का प्रा.पत्र दरख्वास्त को लम्बा चलाने के लिये दी है जो चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब दर. अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि दर. प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

उपरोक्त प्रा0पत्र का जवाब प्रस्तुत होने पर धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के तहत बिन्दुवार मौका रिपोर्ट व विस्तृत रास्ता प्रस्ताव मंगवाने के लिए तहसीलदार, चूरू को तहरीर जारी की गई। पत्रावली प्रा0पत्र 9, 10 व 151 सीपीसी की बहस, जवाब मूल प्रा0पत्र एवं इन्तजार मौका रिपोर्ट में लम्बित चलती रही। तहसीलदार, चूरू को पुनः पत्र जारी किया गया। तहसीलदार, चूरू की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब मूल प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस ढंग से अंकित की गई है सही नहीं होने से अस्वीकार है जबकि सही व वास्तविक तथ्य यह कि खसरा नं. 254 तादादी 12 बीघा जो सम्वत 2012 में व उसके बाद तक अप्रार्थी व उसके पिता स्वर्गीय मालाराम की खातेदारी का रकबा रहा है जिसके साबिक खसरा नं. 84 थे। मुलाहिजा रिकॉर्ड पेश है तथा रकबा अप्रार्थी अनुसूचित जाति व्यक्ति का है प्रार्थी सवर्ण जाति के व्यक्ति ने गलत अपने नाम से करवा लिया जिसके लिए अप्रार्थी ने अलग से कार्यवाही कर रखी है। इस कारण मात्र उक्त रकबा हड़पने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है व रकबा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पुरानी खातेदारी का होने से प्रार्थना पत्र चलने काबिल नहीं है। यह कि प्रार्थी के रकबा के पड़ोसियान जो अपनी मर्जी से अंकित किये है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 की इबादत जिस ढंग से अंकित की है सही नहीं होने से अस्वीकार है खेत खसरा नं. 257 की खातेदारी का विवाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रार्थी के पिता के साथ चल रहा है जो वर्तमान में राजस्व मण्डल में जेरेकार है जिनके खसरा नं. 257 बाबत आज भी स्थगन फरमाया हुआ था व प्रकरण जेरकार है। खसरा नम्बर 257 में से खसरा नम्बर 254 का कोई रास्ता नहीं है। यह कि मद संख्या 4 लगायत 6 गलत लिखी होने से अस्वीकार है।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि अदालतवाला द्वारा मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब की गई है उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार खेत खसरा नं. 254 में रास्ता खेत खसरा नं. 268 में से गुजरने वाली 256 के नजदीक करीब 2 गट्ठा की दूरी से रास्ता आम कटाणी चिपता चला आ रहा है तथा इसी अनुरूप आवागमन प्रार्थी का रहा है तथा खसरा नं. 254 के चिपते खसरा नं. 252 आदि प्रार्थी के परिवार के खातेदारी के खसरा

उपखण्ड अधि
चूरू

में से रास्ता आने जाने का है व उक्त खसरान के खातेदारान को पक्षकार बनाए बगैर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने काबिल नहीं है व प्रार्थी के खेत खसरा नं. 251 में से बहुत दूर 36 गट्ठा है जो कि मात्र पुराने मुकदमात की रंजिश व फौजदारी मुकदमात की रंजिश से गलत प्रार्थना पत्र तंग परेशान करने की नीयत से लाया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिए जावेंगे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र द्वारा अप्रार्थी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर देने पर प्रार्थना पत्र धारा 9 व 10 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं मूल प्रार्थना पत्र पर एक साथ बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र धारा 9 व 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. की बहस में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि इस प्रा0पत्र में चाहे गये अनुतोष का दावा इसी वादगत कृषि भूमि एवं एक समान पक्षकारों के विरुद्ध पूर्व में प्रार्थी द्वारा इसी न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 25.06.2018 को खारिज हो चुका है। इसलिए इसी न्यायालय में वैसा ही दावा (प्रार्थना पत्र) धारा 9 के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने इसी अनुवान का दावा तहसीलदार, चूरू के न्यायालय में भी पेश कर रखा है जिसकी वादगत कृषि भूमि, पक्षकार एवं चाहा गया अनुतोष एक समान हैं। इसलिए एक ही प्रकरण दो न्यायालयों में नहीं चल सकता। साथ ही प्रार्थी जिस खसरे के लिए रास्ता चाहता है वह खसरा अप्रार्थी सं. 1 की पुरानी खातेदारी का रहा है जिसका दावा न्यायालय में जेरकार है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी/मूल प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस दावा सं. 436/17 निर्णय दिनांक 25.06.18 का उल्लेख किया है, उस दावा को वादी द्वारा नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ न्यायालय की आज्ञा से विड्रॉ किया था तथा माननीय न्यायालय ने नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ विड्रॉ करने की आज्ञा प्रदान की थी इसलिए धारा 9 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते। जहां तक अन्य न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का प्रश्न है तो सी.पी.सी. में इस बाबत कहीं भी वर्जित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 9, 10 व 151 सीपीसी का मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

मूल प्रार्थना पत्र की बहस में वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी का सदामत से रास्ता ख.नं. 251 में रहा है। प्रार्थी को अपने खेत ख.नं. 254 में आवागमन के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए प्रार्थी को इस रास्ते की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन के लिए ख.नं. 251 में से कटानी रास्ता कायम किया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी जिस खेत के लिए रास्ता की मांग कर रहा है वह खेत ख.नं. 254 तादादी 12 बीघा जो सम्वत 2012 में व उसके बाद तक अप्रार्थी व उसके पिता स्वर्गीय मालाराम की खातेदारी का रकबा रहा है जिसके साबिक खसरा नं. 84 थे। उक्त रकबा अप्रार्थी अनुसूचित जाति व्यक्ति का है व प्रार्थी सवर्ण जाति के व्यक्ति ने अपने नाम से गलत रूप से दर्ज करवा लिया जिसके लिए अप्रार्थी ने अलग से कार्यवाही कर रखी है। इस कारण मात्र उक्त रकबा हड़पने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है व रकबा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पुरानी खातेदारी

उपखण्ड अ
चूरू

का होने से प्रार्थना पत्र चलने के काबिल नहीं है। खसरा नम्बर 251 में से खसरा नम्बर 254 का कोई रास्ता नहीं है। अदालतवाला द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार खेत खसरा नं. 254 में रास्ता खेत खसरा नं. 268 में से गुजरने वाले कटानी रास्ते के नजदीक ख.नं. 256 से करीब 2 गट्ठा की दूरी से चिपता चला आ रहा है तथा इसी अनुरूप प्रार्थी का आवागमन रहा है तथा खसरा नं. 254 के चिपते खसरा नं. 252 आदि प्रार्थी के परिवार के खातेदारी के खसरा में से रास्ता आने जाने का है परन्तु उक्त खसरान के खातेदारान को प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए उनको पक्षकार बनाए बगैर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने काबिल नहीं है प्रार्थी के खेत खसरा नं. 251 में से रास्ते की लम्बाई 36 गट्ठा है जो कि मात्र पुराने मुकदमात की रंजिश व फौजदारी मुकदमात की रंजिश से गलत प्रार्थना पत्र तंग परेशान करने की नीयत से लाया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी मूलाराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 9, 10 व 151 सी.पी.सी., जवाब प्रार्थना पत्र एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी उम्मेदसिंह की ओर से पूर्व में इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण मु.नं. 438/2017 अनुवानी उम्मेदसिंह बनाम मूलाराम आदि की आदेशिका दिनांक 25.06.2018 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त प्रकरण प्रार्थी मूलाराम द्वारा पेश नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ प्रकरण को विड्रॉ करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को नया प्रकरण पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर प्रार्थना पत्र सं. 438/2017 को ड्रॉप किया गया था। प्रार्थी उम्मेदसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र की छाया प्रति भी संलग्न मौजूद है। इस प्रकार वर्तमान विचाराधीन प्रकरण को पेश करने की अनुमति इसी न्यायालय द्वारा दी जा चुकी है। इसलिए प्रार्थी मूलाराम द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 9, 10 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात मय मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 254 रोही बरड़ादास में आवागमन का सदामत से रास्ता अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी खेत ख.नं. 251 में से होना अंकित करते हुए उक्त रास्ता को कटानी घोषित कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा एक्स में दर्ज करने की मांग की है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को नकारते हुए अंकित किया है कि ख.नं. 254 सम्वत् 2012 से पूर्व व उसके बाद तक अप्रार्थी व उसके पिता की खातेदारी का रहा है। अप्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जबकि प्रार्थी सवर्ण जाति का व्यक्ति है। उक्त ख.नं. 254 की खातेदारी के विवाद का दावा न्यायालय में जेरकार है। इसलिए प्रार्थी ने मात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति का रकबा हड़पने की नीयत से यह प्रकरण पेश किया है। प्रार्थी के आवागमन के लिए ख.नं. 251 में से कोई रास्ता नहीं है। ख.नं. 268 में से गुजरने वाले ख.नं. 256 के नजदीक करीब दो गट्ठा दूरी से कटानी आम रास्ता चला आ रहा है जिसमें से प्रार्थी का आवागमन रहा है। ख. नं. 254 के चिपते खसरा नं. 252 जो प्रार्थी के परिवार के खातेदारी का है, में से भी प्रार्थी का आने जाने का रास्ता है परन्तु उक्त खसरा नम्बरों के खातेदारों को प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए उक्त खसरान के खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र चलने के काबिल नहीं है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पुराने व फौजदारी मुकदमात की रंजिशवश गलत रूप से पेश

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

किया है। तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में दिखाये गये रास्ते की दूरी 36 गट्ठा है जो 256 में से दिखाये गये रास्ते 2 गट्ठा से काफी अधिक है। प्रश्नगत कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम बरड़ादास के अनुसार ख.नं. 165, 251, 257 तादादी क्रमशः 3.0351, 2.2890, 2.2764 में अप्रार्थी मूलाराम खातेदार अंकित है तथा उक्त ख.नं. 165, 251 की कृषि भूमि कॉर्पोरेशन बैंक शाखा चूरू के रहन है। ख.नं. 254 तादादी 3.0351 हैक्टेयर रोही ग्राम बरड़ादास में प्रार्थी उम्मेदसिंह खातेदार दर्ज है तथा उक्त भूमि एसबीबीजे शाखा कलैक्ट्रेट चूरू के रहन दर्ज है। नकल नक्शा के अनुसार प्रश्नगत ख.नं. 251 व 254 रोही ग्राम बरड़ादास एक दूसरे के चिपते हुए स्थित होना व खनं. 251 के चिपते हुए पूर्व दिशा में कटानी रास्ता होना स्पष्ट है। तहसीलदार, चूरू की ओर से प्रस्तुत बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक चूरू द्वारा मय पटवारी हल्का बूंटिया मौके पर जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी को बुलाकर तैयार कर भिजवाई गई है, जिस पर पटवारी हल्का बूंटिया, भू–अ.नि0 चूरू एवं प्रार्थी उम्मेदसिंह के हस्ताक्षर अंकित हैं।

मौका रिपोर्ट में अंकित आया है कि "खसरा नम्बर 251 की कृषि भूमि मूलाराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल के नाम व ख.नं. 254 की भूमि उम्मेदसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज है। बरड़ादास से आसलू के कटानी रास्ता से ख.नं. 251 की दक्षिणी सीमा से होते हुए ख.नं. 254 का रास्ता वर्तमान में चालू है रास्ता कटानी नहीं है। उक्त रास्ते को पूर्व में श्रीमान् तहसीलदार महोदय चूरू द्वारा ख.नं. 254 में जाने हेतु खुलवाया हुआ है। उक्त रास्ते की दूरी कटानी रास्ता से 36 गट्ठा है। ख.नं. 254 में जाने हेतु ख.नं. 256 के बाद कटानी रास्ता है किन्तु आने जाने हेतु रास्ता नहीं है। ख.नं. 256 में से 254 में आने पर दूरी 2 गट्ठा है। ख.नं. 257 पर स्थगन आदेश है।" तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार रिपोर्ट के बिन्दु सं. 1 में अंकित आया है कि "कृषि भूमि ख.नं. 254 रोही बरड़ादास में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 251 की दक्षिणी सीमा से होते हुए वर्तमान में रास्ता चालू है। उक्त रास्ता कटानी नहीं है, काश्त के समय उपयोग में लिया जाता है।" बिन्दु सं. 2 में अंकित है कि "खसरा नम्बर 254 में जाने हेतु नया मार्ग खसरा नम्बर 256 की सीमा में से मिल सकता है। खसरा नम्बर 256 के बाद कटानी रास्ता है। कटानी रास्ते से खसरा नम्बर 254 की दूरी 2 गट्ठा है किन्तु रास्ता चालू नहीं है।" बिन्दु सं. 3 में अंकित आया है कि "संलग्न नक्शे के अनुसार वर्तमान में चालू व अन्य वैकल्पिक रास्ता नजरी नक्शे में बताया गया है।" बिन्दु सं. 4 में अंकित है कि "दोनों पक्षकारों को मौके पर बुलाया किन्तु खसरा नम्बर 251 का खातेदार स्वयं उपस्थित नहीं आया।" बिन्दु सं. 5 में अंकित है कि "मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार की गई है। खसरा नम्बर 257 में स्थगन आदेश है।"

उपरोक्तानुसार पत्रावली मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के जरिये पूर्व में जारी रास्ते को कटानी रास्ता कायम कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने की मांग की है जबकि धारा 251 क में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई ऐसा अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारों की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करवाना चाहता है, वह इस धारा के अन्तर्गत आवेदन कर सकता है, जिसके लिए आवश्यक शर्तें हैं कि (1) आवश्यकता आत्यन्तिक होनी चाहिए, न कि केवल सुविधा के लिए

उपखण्ड अधिकारी

एवं (2) वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने स्वयं अंकित किय है सदामत से प्रार्थी के खेत का रास्ता अप्रार्थी के खेत में से होकर रहा है। जब रास्ता पूर्व से ही रहा है तो उक्त पूर्व में सदामत से चले आ रहे रास्ते को अप्रार्थी द्वारा बन्द किया गया तब प्रार्थी को उक्त रास्ता को खुलवाने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी के समक्ष की जा चुकी है तथा तहसीलदार, चूरू द्वारा उक्त रास्ते को खुलवा दिया गया है तथा वर्तमान में चालू है। उक्त तथ्य मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। प्रार्थी के आवागमन का रास्ता चालू होने के बावजूद धारा 251 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया है। पूर्व में सदामत से चले आ रहे रास्ता को कटानी घोषित करवाने की कार्यवाही नियमानुसार धारा 251 ए के तहत नहीं की जा सकती। साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, चूरू की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन करने हेतु ग्राम बरड़ादास के ख.नं. 268 की उत्तरी सीमा से होकर गुजरने वाले कटानी रास्ते से ख.नं. 256 की पश्चिमी सीमा में से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सकता है परन्तु प्रार्थी ने उक्त ख.नं. 256 के खातेदार को पक्षकार ही नहीं बनाया है। मौका रिपोर्ट में ख.नं. 251 में से दर्शाये गये रास्ते की दूरी 36 गट्ठा है तथा 256 में से दर्शाये रास्ते की दूरी मात्र दो गट्ठा है। धारा 251 ए के तहत निकटतम मार्ग ही दिया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी वर्तमान में ख.नं. 251 में पहले से ही चालू रास्ते से आवागमन कर रहा है तथा अन्य निकटतम मार्ग का विकल्प भी उपलब्ध है जिसमें रास्ते की लम्बाई भी चाहे गये रास्ते से काफी कम है। साथ ही इस प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ख.नं. 256 के खातेदार एवं ख.नं. 251 के रहनकर्ता बैंक जो कि इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं, को पक्षकार भी नहीं बनाया है। ख.नं. 251 की कृषि भूमि बैंक के रहन है जिसमें से रास्ता दिये जाने पर बैंक के हितों पर विपरीत असर पड़ने की सम्भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है तथा धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के मध्यनजर निकटतम मार्ग का विकल्प ख.नं. 256 में से होकर उपलब्ध है परन्तु ख.नं. 256 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया जाने से उसके खिलाफ कोई अनुतोष प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। इस प्रकार इस प्रकरण में प्रार्थी को अपने खेत ख.नं. 254 में आवागमन करने के लिए कम दूरी के रास्ते का विकल्प ख.नं. 256 में से मौजूद है परन्तु उसके खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है, ख.नं. 251 की भूमि बैंक के रहन है परन्तु रहनकर्ता बैंक को पक्षकार नहीं बनाया है, ख.नं. 257 में से भी रास्ते का विकल्प मौजूद है परन्तु केवल मात्र ख.नं. 251 के खातेदार को ही पक्षकार बना कर ख.नं. 251 में से ही रास्ता चाहा गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों का अभाव है एवं प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक ना होकर केवल सुविधा के लिए रास्ता चाहिए जो कि धारा 251 ए के तहत सुविधा के लिए एवं आवश्यक पक्षकारों के अभाव में रास्ता नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य प्रतीत नहीं होता।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी को उक्त चाहे गये रास्ते की ना तो आत्यान्तिक आवश्यकता है, तथा ना ही विकल्प का अभाव है, उसे केवल सुविधा के लिए रास्ता चाहिए जो कि धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के तहत दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारों का भी अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के विपरीत पेश किया गया होने एवं प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारों का अभाव होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों में कवर नहीं होने एवं आवश्यक पक्षकारों का अभाव होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 01.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी, चूरू